



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08042023-245021
CG-DL-W-08042023-245021

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 8—अप्रैल 14, 2023 (चैत्र 18, 1945)
No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 8—APRIL 14, 2023 (CHAITRA 18, 1945)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी
अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the
Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय

(वस्त्र आयुक्त का कार्यालय)

मुंबई-400020, दिनांक 23 नवम्बर 2022

सं. 5(84)/2017/स्था-एक/99—विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा श्री राजेश महाजन, तकनीकी अधिकारी को दिनांक 14 जनवरी, 2022 (अपराहन) से वस्त्र आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में पदोन्नति के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 के रु. 44,900-1,42,400/- में सहायक निदेशक श्रेणी-II (तकनीकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे दिनांक 14.01.2022 (अपराहन) से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

विजय धर चौबे, निदेशक (स्थापना)

सं. 5(84)/2017/स्था-एक/99—विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा श्रीमती नंदा सुनील तरे, कार्यालय अधीक्षक को दिनांक 01 अप्रैल, 2022 (पूर्वाहन) से वस्त्र आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में पदोन्नति के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 के रु. 44,900-1,42,400/- में सहायक निदेशक श्रेणी-II (गैर-तकनीकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

विजय धर चौबे, निदेशक (स्थापना)

सं. 5(84)/2017/स्था-एक/99—विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा श्री दुर्गा प्रसाद सरमाह, तकनीकी अधिकारी को दिनांक 20 जून, 2022 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में पदोन्नति के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 के रु. 44,900-1,42,400/- में सहायक निदेशक श्रेणी-II (तकनीकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे दिनांक 20.06.2022 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

विजय धर चौबे, निदेशक (स्थापना)

सं. 5(84)/2017/स्था-एक/99—विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा श्री गोपाल निगम, तकनीकी अधिकारी को दिनांक 02 अगस्त, 2022 (अपराह्न) से वस्त्र आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में पदोन्नति के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 के रु. 44,900-1,42,400/- में सहायक निदेशक श्रेणी-II (तकनीकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे दिनांक 02.08.2022 (अपराह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

विजय धर चौबे, निदेशक (स्थापना)

शुद्धिपत्र

सं. 5(84)/2017/स्था-एक/99—दिनांक 23-29 नवंबर, 2019 के भारत के राजपत्र (साप्ताहिक) के भाग I- खंड 2 में प्रकाशित दिनांक 20 सितंबर 2019 की अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, चौथी पंक्ति में दिनांक 13.08.2018 को 13.08.2019 पढ़ा जाए तथा हस्ताक्षर के स्थान पर विजय कुमार चौबे को "विजय धर चौबे" पढ़ा जाए। शेष जानकारी अपरिवर्तित रहती है।

विजय धर चौबे, निदेशक (स्थापना)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2023

सं. पी. एफ. (2896)/-ई.1—खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी, श्री प्रभु नाथ महतो द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिये मूल नियम 48 के अंतर्गत दिया नोटिस दिनांक 20.02.2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, श्री प्रभु नाथ महतो, अनुभाग अधिकारी स्वेच्छा से सरकारी सेवा से दिनांक 24.03.2023 से पूर्वाह्न को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

गौतम कुमार यादव, अवर सचिव

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 दिसंबर 2022

सं. ए. 32014/1/2022-प्रशा.।—राष्ट्रपति इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गये उनके नाम के सामने यथा उल्लिखित पद ग्रहण करने की तिथि से दूरसंचार विभाग में उनके वरिष्ठता कोटा के सापेक्ष एसओएसएल-2022 में नियमित आधार पर सीएसएस के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं:—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री)	नियमित आधार पर पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि
1.	विनय	29.12.2022 (अपराह्न)
2.	राहुल कैला	29.12.2022 (अपराह्न)

2. एसओएसएल 2022 में उपर्युक्त अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 27.12.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/20/2022-सीएस.।(एस) में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन तथा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम और किसी भी अन्य संबंधित मामलों में किसी भी सक्षम न्यायालयों द्वारा पारित किसी अन्य आदेश के अध्यक्षीन होगा:

(क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी अपील संख्या 629/2022 और संबंधित मामले (जरनैल सिंह बैच के मामले)।

(ख) एसओ/एसएसओ ग्रेड में वरिष्ठता, पदोन्नति आदि से संबंधित मामला यदि किसी भी सक्षम अदालत में आज तक दायर किए गए हो।

प्राधिकार: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.12.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/20/2022-सीएस.।(एस).

नोट:- "एसओ एलडीसीई 2018-19 रिक्तियों के सापेक्ष वर्ष 2022 में की जा रही उपरोक्त नियुक्ति एलडीसीई के परिणाम घोषित होने तक सशर्त है और उनके नाम एसओ एसएल 2022 या पिछले वर्षों में वरिष्ठता कोटा के तहत शामिल नहीं होते हैं या पूर्वोक्त वर्षों के लिए एसओ एलडीसीई अर्हता प्राप्त नहीं करने की स्थिति में उनके पास अनुभाग अधिकारी के पद पर बने रहने का कोई दावा नहीं होगा और वे वापस सीएसएस के सहायक अनुभाग अधिकारी (एसएसओ) के पद पर रिवर्ट कर दिए जाएंगे। उपरोक्त नियुक्ति आगे इस शर्त के अधीन है कि ये अधिकारी डेस्क पैटर्न पर काम करने के इच्छुक हैं।"

सुमिष, अवर सचिव

दिनांक 3 जनवरी 2023

सं. ए-32014/1/2022-प्रशा.।—राष्ट्रपति इस विभाग के केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री अंशुल मलिक, सहायक अनुभाग अधिकारी को पद ग्रहण करने की तारीख यानी दिनांक 02.01.2023 (पूर्वाह्न) से दूरसंचार विभाग में उनके वरिष्ठता कोटा के सापेक्ष एसओएसएल-2022 के तहत नियमित आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. एसओएसएल 2022 के ग्रेड में उपर्युक्त अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.12.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/20/2022-सीएस.।(एस) में वर्णित नियम और शर्तों तथा निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम तथा किसी भी सक्षम अदालत द्वारा किसी भी अन्य संबंधित मामले में दिए गए किसी भी अन्य आदेश के भी अधीन है:

(क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या 629/2022 और संबंधित मामले (जरनैल सिंह बैच के मामले)।

(ख) आज की तिथि तक किसी भी सक्षम अदालत में अनुभाग अधिकारी/सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता, पदोन्नति से संबंधित मामले, यदि कोई हो तो।

प्राधिकार: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.12.2022 का कार्यालय ज्ञापन सं. 6/20/2022-सीएस.। (एस)।

टिप्पणी: "वर्ष 2022 में एसओ एलडीसीई 2018-19 की रिक्तियों के लिए की जा रही उपर्युक्त नियुक्ति एलडीसीई के परिणाम घोषित होने तक सशर्त की जाती है और यह कि उनका नाम एसओ चयन सूची 2022 अथवा विगत वर्षों या वरिष्ठता कोटा के तहत चयन सूची में शामिल न होने अथवा उपर्युक्त वर्षों की एसओ एसएलडीसीई उत्तीर्ण नहीं कर पाने की स्थिति में वे अनुभाग अधिकारी के पद पर बने रहने का कोई दावा नहीं करेंगे और उन्हें सीएसएस के सहायक अनुभाग अधिकारी (एसएसओ) के पद पर रिवर्ट कर दिया जाएगा। उपर्युक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि अधिकारी डेस्क पैटर्न पर कार्य करने के इच्छुक हों।"

सुमिष, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2023

शुद्धि-पत्र

सं. 2020/ई(जीआर)II/7/4—भारत के राजपत्र के भाग 1, खंड 2 में 2 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की दिनांक 25.03.2022 की अधिसूचना सं. 2020/ई(जीआर)II/7/4 में, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की अधिसूचना सं. 11/2015 एवं 03/2018 के आधार पर चयनित मंडल चिकित्सा अधिकारियों की भारतीय रेल में रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 की वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है, क्र.सं. 42 पर डॉक्टर अर्थात् डॉ. अनुराग मिश्रा की जन्म तिथि को 15.05.1984 के स्थान पर 15.05.1985 पढ़ा जाए।

उक्त अधिसूचना सं. 2020/ई(जीआर)II/7/4 दिनांक 25.03.2022 की अन्य बातें यथावत रहेंगी।

कमल किशोर, उप निदेशक/स्थापना (राजपत्रित भर्ती)-II

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2023

सं. ए-32013/09/2020-ई.॥—राष्ट्रपति, श्री कौशिक बसु, केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के मुख्य अभियंता (यांत्रिक) को स्तर 15 (रु. 1,82,200-2,24,100/-) में दिनांक 24 मार्च, 2023 के अपराह्न से प्रभावी तथा अगले आदेशों तक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

कमल किशोर, अवर सचिव

सं. ए-32013/09/2020-ई.॥—राष्ट्रपति, केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के निम्नलिखित मुख्य अभियंता (सिविल) को स्तर 15 (रु. 1,82,200-2,24,100/-) में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से प्रभावी तथा अगले आदेशों तक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं :—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री)	पद पर नियुक्ति की तारीख
1.	बी.के. सिन्हा	24.03.2023 (अपराह्न)
2.	वी.के. रजावत	27.03.2023 (पूर्वाह्न)
3.	सुदीप चौधरी	24.03.2023 (अपराह्न)

कमल किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF TEXTILES
(OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER)

Mumbai-400020, the 23rd November 2022

No. 5(84)/2017/Est-I/99—On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee, the Textile Commissioner is pleased to appoint Shri Rajesh Mahajan, Technical Officer, to the post of Assistant Director Grade-II (Technical), (Group 'B' Gazetted) in the Level-7 of Rs.44900-142400/- in the Pay Matrix on promotion basis in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai with effect from 14th January, 2022 (AN). He will be on probation from 14.01.2022 (AN) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the Competent Authority.

VIJAY DHAR CHOUBEY, Director (Estt.)

No. 5(84)/2017/Est-I/99—On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee, the Textile Commissioner is pleased to appoint Smt. Nanda Sunil Tare, Office Superintendent to the post of Assistant Director Grade-II (Non-Technical), (Group 'B' Gazetted) in the Level-7 of Rs.44900-142400/- in the Pay Matrix on promotion basis in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai with effect from 01st April, 2022 (FN).

VIJAY DHAR CHOUBEY, Director (Estt.)

No. 5(84)/2017/Est-I/99—On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee, the Textile Commissioner is pleased to appoint Shri Durga Prasad Sarmah, Technical Officer, to the post of Assistant Director Grade-II (Technical), (Group 'B' Gazetted) in the Level-7 of Rs.44900-142400/- in the Pay Matrix on promotion basis in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai with effect from 20th June, 2022 (FN). He will be on probation from 20.06.2022 (FN) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the Competent Authority.

VIJAY DHAR CHOUBEY, Director (Estt.)

No. 5(84)/2017/Est-I/99—On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee, the Textile Commissioner is pleased to appoint Shri Gopal Nigam, Technical Officer, to the post of Assistant Director Grade-II (Technical), (Group 'B' Gazetted) in the Level-7 of Rs.44900-142400/- in the Pay Matrix on promotion basis in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai with effect from 2nd August, 2022 (AN). He will be on probation from 02.08.2022 (AN) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the Competent Authority.

VIJAY DHAR CHOUBEY, Director (Estt.)

CORRIGENDUM

No. 5(84)/2017/Est-I/99—In partial modification of Notification dated 20th September 2019 published in the Part I-Section 2 of Gazette of India (Weekly) dated November 23-29, 2019, the term in the third line may be read as (Group 'B' Gazetted) instead of (Group 'B' gazette). All other contents will remain the same.

VIJAY DHAR CHOUBEY, Director (Estt.)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 23rd March 2023

No. PF(2896)/E.I.—The President is pleased to accept the notice dated 20.02.2023 given by Shri Prabhu Nath Mahto, Section Officer of Central Secretariat Services (CSS) of the Department of Food & Public Distribution, under Rule 48 of CCS Pension Rules, 1972 for voluntary retirement from Government service. Accordingly, Shri Prabhu Nath Mahto, Section Officer stands retired voluntarily from Government Service with immediate effect on the forenoon of 24.03.2023.

GAUTAM KUMAR YADAV, Under Secretary

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 30th December 2022

No. A.32014/1/2022-Admn.I—The President is pleased to appoint the following ASOs of Central Secretariat Service (CSS) of this Department to the grade of Section Officer of CSS on regular basis in SOSL-2022 against the Seniority

Quota, in Department of Telecommunications with effect from the date of assumption of charge of the post on regular basis as mentioned against their name in the table given below:

S. No.	Name of the officer (Shri)	Date of assumption of charge of the promoted post on regular basis
1.	Vinay	29.12.2022(AN)
2.	Rahul Kaila	29.12.2022(AN)

2. Appointment of the above mentioned officers to the grade of Section Officer in SOSL 2022 is subject to terms and conditions mentioned in DoP&T's OM No. 6/20/2022-CS.I (S) dated 27.12.2022 and also subject to the outcome of the following Court cases and also subject to any other order passed by any Competent courts in any other connected matters:

(a) Civil Appeal No. 629/2022 in Hon'ble Supreme Court of India and connected matters (Jarnail Singh batch of cases).

(b) Matters relating to seniority, promotion etc. in SO/ASO grade, if any, filed in any competent court till date.

Authority: DoP&T OM No. 6/20/2022-CS.I (S) dated 27.12.2022.

Note:-“The above appointment being made in the year 2022 against the SO LDCE 2018-19 vacancies is conditional till results of LDCEs are declared and that in the event of their names not getting included in the SO SL 2022 or for previous years either under Seniority Quota or if they do not qualify SO LDCE for the aforesaid years, they will have no claim to continue to hold the post of Section Officer and they will stand to be reverted to the post of Assistant Section officer (ASO) of CSS. The above appointment is further subject to the condition that these officers are willing to work on Desk Pattern.”

SUMISH, Under Secretary

The 3rd January 2023

No. A.32014/1/2022-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Anshul Malik, Assistant Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) of this Department to the grade of Section Officer of CSS on regular basis in SOSL-2022 against the Seniority Quota, in Department of Telecommunications with effect from the date of assumption of charge of the post on regular basis i.e. 02.01.2023 (FN).

2. Appointment of the above mentioned officer to the grade of Section Officer in SOSL 2022 is subject to terms and conditions mentioned in DoP&T's OM No. 6/20/2022-CS.I (S) dated 27.12.2022 and also subject to the outcome of the following Court cases and also subject to any other order passed by any Competent courts in any other connected matters:

(a) Civil Appeal No. 629/2022 in Hon'ble Supreme Court of India and connected matters (Jarnail Singh batch of cases).

(b) Matters relating to seniority, promotion etc. in SO/ASO grade, if any, filed in any competent court till date.

Authority: DoP&T OM No. 6/20/2022-CS.I (S) dated 27.12.2022.

Note: - “The above appointment being made in the year 2022 against the SO LDCE 2018-19 vacancies is conditional till results of LDCEs are declared and that in the event of his name not getting included in the SO SL 2022 or for previous years either under Seniority Quota or if he does not qualify SO LDCE for the aforesaid years, he will have no claim to continue to hold the post of Section Officer and he will stand to be reverted to the post of Assistant Section officer (ASO) of CSS. The above appointment is further subject to the condition that the officer is willing to work on Desk Pattern.”

SUMISH, Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 31st March 2023

CORRIGENDUM

No. 2020/E(GR)II/7/4—In the Ministry of Railway's (Railway Board) Notification No. 2020/E(GR)II/7/4 dated 25.03.2022 published in Part 1, Section 2 of the Gazette of India on April 2, 2022, notifying the appointment of Divisional Medical Officers (DMOs) in Level-11 of Pay Matrix of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 selected on the basis of UPSC's Advt. No. 11/2015 & 03/2018, in Indian Railways, the date of birth of the doctor at S.No. 42 i.e. Dr. Anurag Mishra may be read as 15.05.1985 instead of 15.05.1984.

Rest of the above Notification No. 2020/E(GR)II/7/4 dated 25.03.2022 remains unchanged.

KAMAL KISHOR, Deputy Director/Estt.(Gaz. Rectt.)-II

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 29th March 2023

No. A-32013/09/2020-E.II—The President is pleased to appoint Shri Kaushik Basu, Chief Engineer (Mechanical) of the Central Engineering Service (Roads) to the grade of Additional Director General in the Ministry of Road Transport & Highways in the level 15 (Rs.182200-224100/-) with effect from the afternoon of the 24th March, 2023 and until further orders.

KAMAL KISHORE, Under Secretary

No. A-32013/09/2020-E.II—The President is pleased to appoint following Chief Engineer (Civil) of the Central Engineering Service (Roads) to the grade of Additional Director General in the Ministry of Road Transport & Highways in the level 15 (Rs.182200-224100/-) with effect from the date mentioned against their name and until further orders:

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of appointment in the grade
1.	B.K. Sinha	24.03.2023 (afternoon)
2.	V.K. Rajawat	27.03.2023 (forenoon)
3.	Sudip Chaudhury	24.03.2023 (afternoon)

KAMAL KISHORE, Under Secretary